उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

*213. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) जिन उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग शुरू हो चुका है, वहां कितने प्रतिशत काम हिंदी में किया जा रहा है ; और

(ग) किन-किन राज्यों में कानून के विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का माध्यम हिन्दी है और न्यायालय की कार्यवाही हिंदी में लिखने की सुविधायें उपलब्ध हैं तथा इनमें से किन-किन राज्यों में इन प्रयोजनों के लिये हिंदी के प्रयोग की अनुमति नहीं है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 348(1) में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद, विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न कर दे । उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के बारे में कोई अधिनियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

(ख) जिन उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया है वहां हिंदी में किये जाने वाले काम की प्रतिशतता नगण्य है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के कई विश्वविद्यालयों द्वारा विधि की शिक्षा हिन्दी में दी जाती है । इन 4 राज्यों के न्यायालयों में न्यायालय की कार्यवाही हिन्दी में लिखने की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इन राज्यों में इन प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग की अनुमति प्राप्त है ।

श्रम न्यायालय

*214. **कुमारी सईदा खातून :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने श्रम न्यायालय हैं;

(ख) क्या ये न्यायालय हर जिले में खोलने का कोई प्रावधान है ; और

(ग) यदि हां, तो यह न्यायालय कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस समय भारत में ग्यारह केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन राज्य क्षेत्र के मामलों के लिये राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन श्रम न्यायालय/अधिकरण स्थापित करते हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31-3-83 को 115 श्रम न्यायालय, 57 औद्योगिक अधिकरण और 6 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्य कर रहे थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Presence of US Battleships in Indian Ocean

*215. SHRI M. A. BABY:
SHRI NIRMAL CHATTERJEE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent massive US build-up/presence in the Indian ocean through the augmentation of its battleships and escort warships; and

(b) if so, whether Government propose to take up the matter with the United Nations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.